

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(230)(वित्त-1)(1)आय व्ययक/2014/

दिनांक 08.02.2016

कोषाधिकारी,
जयपुर शहर, जोधपुर शहर,
अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर।

(स्वीकृति संख्या 616 /2015-16)

विषय : पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वर्ष 2015-16 के लिये अनुदान राशि नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प.6(ट)(160)लेखा/डीएलबी/एसएफसी/2015-20/18488-540 दिनांक 05.02.16 (प्रति संलग्न) में अंकितानुसार संबंधित नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में कुल राशि रुपये 9910.16 लाख (अक्षरे रुपये निनायनवें करोड़ दस लाख सोलह हजार मात्र) निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए हस्तांतरित कर दी जावें :-

विकलेय मद

मांग संख्या - 29

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

191 - नगर निगमों को सहायता

(14) - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान

[01] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना) -

राशि रुपये 6572.26 लाख

मांग संख्या - 51

[02] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना) -

राशि रुपये 1824.90 लाख

मांग संख्या - 30

[03] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना) -

राशि रुपये 1513.00 लाख

कुल योग

राशि रुपये 9910.16 लाख

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिये ही किया जायेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय

WSP/16

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-1 राजस्थान, जयपुर।
02. शासन सचिव महोदय, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
06. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
07. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
08. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
09. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. System Analyst (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।

WSP/16

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

E-Mail- caodlb@gmail.com
Tel/Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(160)लेखा/DLB/ SFC/2015-20/18488

दिनांक : 02.02.2016

--: स्वीकृति आदेश :-

विषय : वर्ष 2015-16 में पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत नगर निगमों को द्वितीय किस्त अनुदान।

राज्य के नगर निगमों को संलग्न सूची अनुसार वर्ष 2015-16 में पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत द्वितीय किस्त के रूप में राशि रुपये 11060.00 लाख में से रुपये 1149.84 लाख की कटौति करते हुये कुल राशि रुपये 9910.16 (अक्षरे रुपये निनयानवें करोड़ दस लाख सोलह हजार मात्र) निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुये भुगतान किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाखों में)

विकलेय मद	RE वर्ष 2015-16	पूर्व में स्वीकृत राशि	इस स्वीकृति पर व्यय की राशि	विभागीय स्तर पर कटौति	शुद्ध आवंटन (3-4)
	1	2	3	4	5
मांग संख्या - 29					
2217 - शहरी विकास					
80 - सामान्य					
191 - नगर निगमों को सहायता					
(14) - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान					
[01] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान					
12 - सहायता अनुदान (आयोजना) -	14724.91	7722.10	7722.10	1149.84	6572.26
मांग संख्या - 51					
[02] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान					
12 - सहायता अनुदान (आयोजना) -	3478.95	1824.90	1824.90	0.00	1824.90
मांग संख्या - 30					
[03] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान					
12 - सहायता अनुदान (आयोजना) -	2886.20	1513.00	1513.00	0.00	1513.00
कुल योग राशि	21090.06	11060.00	11060.00	1149.84	9910.16

उक्त आवंटित राशि के उपयोग विभाग द्वारा पंचम वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।

राशि निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित की जावेगी। इस स्वीकृति के लिये वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 171501229 दिनांक 21.01.2016 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गयी है।

(पुरुषोत्तम बियाणी)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(160)लेखा/DLB/ SFC/2015-20/18489-540 दिनांक : 02.02.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. *निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।

03. निजी सचिव, शासन सचिव, (आयोजना) राज0 जयपुर।
04. सदस्य सचिव, पंचम राज्य वित्त आयोग, प्रथम तल, बी ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
05. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ भिजवाकर निवेदन है कि सम्बन्धित नगर निगमों को स्वीकृत अनुदान राशि उनके निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित करने की कार्यवाही करें।
06. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
07. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा राजस्थान जयपुर।
08. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3)/(आर्थिक मामलात) विभाग, राज0 जयपुर।
09. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. जिला कलेक्टर, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
11. लेखाधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर।
14. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर/जोधपुर शहर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित निकायों के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तान्तरित कराने की व्यवस्था कराने का श्रम करावें तथा निर्धारित फार्म में लेखे महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवम् हक) के डी0 डी0 प्रथम अनुभाग में भिजवाने की व्यवस्था करावे।
15. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस स्वीकृति के अन्तर्गत आवंटित अनुदान राशि का निकाय के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। राशि का उपयोग पंचम वित्त आयोग द्वारा जारी सिफारिशों के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
17. परियोजना निदेशक/वरिष्ठ लेखाधिकारी (आयोजना/आयोजना भिन्न)/उप निदेशक (सांख्यिकी), निदेशालय।
18. बजट शाखा/अंक मिलान शाखा निदेशालय।
19. प्रभारी आई टी प्रकोष्ठ/प्रभारी ई-गवर्नेंस/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(इलीस रंय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी

पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत नगर निगमों को वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित प्रथम किस्त की राशि

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	नाम निकाय	क्र.	आवंटन हेतु कुल राशि						विभागीय स्तर पर की गयी कटौति						कटौति उपरान्त देय राशि					
			मौज संख्या 29		मौज संख्या 51		मौज संख्या 30		योग (4+5+6)	RUDF का से बली	RUDF अवदान	RUDF से सबको हेतु दिये गये ऋण	सेविक्टर कन्सल्टेन्स को भुगतान की वसुली	कुल राशि (8+9+10+11+12)	मौज संख्या 29		मौज संख्या 51		मौज संख्या 30	
			बजट शीर्ष 2217-80- 191-(14)- [01]-12	बजट शीर्ष 2217-80- 191-(14)- [02]-12	बजट शीर्ष 2217-80- 191-(14)- [03]-12											बजट शीर्ष 2217-80- 191-(14)- [01]-12	बजट शीर्ष 2217-80- 191-(14)- [02]-12	बजट शीर्ष 2217-80-19 1-(14)-[03]- 12	योग (14+15+16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	कोष कार्यालय जयपुर शहर (1108)																			
1	जयपुर	न.नि	3256.12	769.50	637.97	4663.59	314.12	25.00	50.00	49.72	438.84	2817.28	769.50	637.97	4224.75					
	कोष कार्यालय जोधपुर शहर (1117)																			
2	जोधपुर	न.नि	1161.60	274.51	227.59	1663.70	129.38	25.00	60.00	0.10	214.48	947.12	274.51	227.59	1449.22					
	कोष कार्यालय कोटा (1118)																			
3	कोटा	न.नि	1247.87	294.90	244.50	1787.27	38.52	25.00	55.00		118.52	1129.35	294.90	244.50	1668.75					
	कोष कार्यालय अजमेर (1091)																			
4	अजमेर	न.नि	596.89	141.06	116.95	854.90	2.97	25.00		0.03	28.00	568.89	141.06	116.95	826.90					
	कोष कार्यालय बीकानेर (1099)																			
5	बीकानेर	न.नि	723.61	171.00	141.78	1036.39		25.00			25.00	698.61	171.00	141.78	1011.39					
	कोष कार्यालय उदयपुर (1128)																			
6	उदयपुर	न.नि	456.80	107.95	89.50	654.25	250.00	25.00			275.00	181.80	107.95	89.50	379.25					
	कोष कार्यालय भरतपुर (1097)																			
6	भरतपुर	न.नि	279.21	65.98	54.71	399.90		25.00	25.00		50.00	229.21	65.98	54.71	349.90					
योग			7722.10	1824.90	1513.00	11060.00	734.99	175.00	190.00	49.85	1149.84	6572.26	1824.90	1513.00	9910.16					

(अक्षरे रुपये निम्नानुवै करोड़ दस लाख सोलह हजार मात्र)

(पुरुषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव